CERTIFICATE

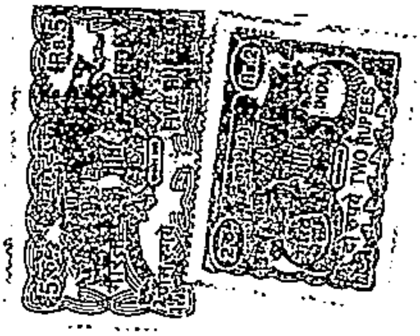

02/07

साधारण प्रति प्रार्थना पत्र सं० 200 दिनांक 27.5.13
नकल आदेश दिनांक 26.5.13

वाद सं० 62 धारा-143 ज०वि० अधि० ग्राम-नेकपुर हातिमपुर
परगना व तहसील बिलग्राम जिला हरदोई।
अजयपाल सिंह महाविद्यालय नेकपुर हातिमपुर बनाम सरकार
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/ परगनाधिकारी बिलग्राम
तहसील बिलग्राम जिला हरदोई।
नकल तारीख फैसला - 26.5.13

अजयपाल सिंह महाविद्यालय नेकपुर हातिमपुर ———— वादी

बनाम

सरकार ———— प्रतिवादी

नकल संलग्न

अजयपाल सिंह महाविद्यालय नेकपुर हातिमपुर द्वारा प्रबन्धक अरविन्द कुमार पुत्र रामकिशोर सिंह ग्राम बाँसा परगना मल्लावाँ तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई-- वादी

बनाम

सरकार -- प्रतिवादी

आज पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। वादी के अधिवक्ता उपस्थित आये। वादी, लेखपाल तथा सदस्य ग्राम पंचायत का साक्ष्य अंकित किया गया वादी ने दिनांक 22-3-13 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि गाटा संख्या 288क रकबा 0.417 व 282/0.304, 292क/0.222हे, 293/0.297हे स्थित ग्राम नेकपुर हातिमपुर के सम्बन्ध में धारा 176ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत सरकारी बटवारा हो चुका है। चूंकि उक्त वर्णित गाटा संख्याओं में महाविद्यालय व इण्टरमीडिएट कालेज का निर्माण अपने अंश पर किया जा रहा है कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इस कारण धारा 143ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अजय पाल सिंह महाविद्यालय व अजयपाल सिंह इण्टर कालेज के अंश को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की है। पत्रावली तहसीलदार बिलग्राम को आख्या हेतु प्रेषित की गई। क्षेत्रीय लेखपाल ने अपनी आख्या दिनांक 15-4-13 में उल्लिखित किया है कि गाटा संख्या 288क/0.417, 292क/0.222, 293/0.297 कुल 0.936हे0 अजयपाल सिंह महाविद्यालय नेकपुर हातिमपुर द्वारा अकृषिक प्रयोजन हेतु काम में लाया जा रहा है जिसमें अधिकांश भाग पर भवन निर्मित हो चुका है। गाटा संख्या 282मि0/0.088 अजयपाल सिंह महाविद्यालय व 282मि0 रकबा 0.216हे0 इण्टर कालेज हेतु अकृषिक प्रयोजन हेतु काम में लाया जा रहा है। उक्त आख्या को तहसीलदार बिलग्राम द्वारा दिनांक 16-4-13 को अग्रसारित किया गया है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तहसीलदार बिलग्राम की आख्या से सहमत होते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम नेकपुर हातिमपुर परगना व तहसील बिलग्राम की खतौनी सन् 1416-1421फ0 के खाता संख्या36 पर अंकित गाटा संख्या 288क/2/0.417, 292क/0.222हे,293/0.297हे तथा इसी खतौनी के खाता संख्या 326 पर अंकित गाटा संख्या 282/1/0.088हे0 पर अजयपाल सिंह महाविद्यालय नेकपुर हातिमपुर द्वारा प्रबन्धक अरविन्द कुमार पुत्र रामकिशोर सिंह बाँसा का भवन बना होने तथा गाटा संख्या 282/2/0.216हे0 पर अजयपाल सिंह इण्टरमीडिएट कालेज नेकपुर हातिमपुर द्वारा प्रबन्धक अरविन्द कुमार पुत्र रामकिशोर सिंह ग्राम बाँसा का भवन बना होने एवं उक्त भूमि कृषि बागवानी, मत्स्यपालन कुक्कुट पालन, पशुपालन से भिन्न अकृषिक (आवासीय) उपयोग में लाये जाने के कारण ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत भू राजस्व मुक्त घोषित की जाती है। परवाना अमलदरामद जारी किया जाये। आदेश की प्रति उपनिबन्धक बिलग्राम को प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जावे।

([illegible] सिंह यादव)
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी
[illegible]